डीजी परिपत्र सं0 - 12 /2025

प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: मार्च 21,2025

विषयः अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा-482 संख्या-25039/2024 राजू मौर्या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.12.2024 में कुर्की की कार्यवाही के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया परिपत्र के साथ संलग्न अप्लीकेशन अन्तर्गत धारा-482 संख्या-25039/2024 राजू मौर्या बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। मा0 न्यायालय द्वारा मु.अ.सं. 212/2021 अन्तर्गत धारा 363, 366 भादवि, थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी के अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी कुर्की की कार्यवाही के दौरान जब्त की गयी सम्पत्ति की रिलीज हेतु योजित रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान सम्पत्ति की कुर्की के दौरान पुलिस द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया को अन्यायपूर्ण बताते हुये भविष्य में कुर्की की कार्यवाही के दौरान पुलिस के अनुपालनार्थ निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं—

> For the Police
> 31.5 The Investigating Officer shall explicitly specify the details of the property "belonging" to the absconding person in an application under Section 85 of the BNSS. The officer must also accurately and clearly document the ownership, possession, or association of the attached property in the seizure memo. If it is not possible to ascertain ownership, the benefit of the doubt shall be given to the proclaimed offender, particularly in cases involving shared households or common household items.
> 31.6 The execution of judicial orders shall not be excessive, coercive, or beyond the legal scope and procedure established by law. Law enforcement officers must ensure that the enforcement of attachment orders should be carried out in a fair, proportionate, and legally compliant manner, avoiding unwarranted hardship on innocent individuals.

2- मा0 न्यायालय ने अपने आदेश के प्रस्तर-34 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी को निम्नवत निर्देशित किया गया है—

> 34. The Registrar (Compliance) is directed to send a copy of this order to:
> (i) The Director General of Police (D.G.P.), Uttar Pradesh, who shall, in turn, forward the order to the Police In-Charge of all Districts. The Police In-Charge of each District shall then ensure that a copy of this order is circulated to all Station House Officers (S.H.Os.) for strict compliance, reference, and record.

.....2

(ii) The D.G.P., Uttar Pradesh, shall issue a notification/Government Order (G.O.) in accordance with this order to all concerned officers/S.H.Os. and shall ensure its full compliance.

3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 482 संख्या-25039/2024 राजू मौर्या बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 10.12.2024 की प्रति परिपत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि मा0 उच्च न्यायालय के संलग्न आदेश का भलीभाँति अध्ययन करते हुये न्यायिक निर्णय में दिये गये निर्देशों से अपने अधीनस्थ राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों को विस्तार से अवगत करा दें तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

21.3.25

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ.प्र.।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ.प्र., लखनऊ।